



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ

आफिस कॉम्प्लैक्स, सेक्टर-9, शास्त्री नगर, मेरठ

Email : upavpse2@gmail.com



पत्रांक :- 1116

64-12 / 28

दिनांक :- 28/04/2024

ई-निविदा सूचना

अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से, परिषद में अर्ह श्रेणी/गुप में पंजीकृत व अनुभवी ठेकेदारों/फर्मों से, एकल बिड पद्धति पर ई-निविदा <https://etender.up.nic.in> के माध्यम से निम्नांकित विवरण के अनुसार आमन्त्रित की जाती है, जो उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड मेरठ-02, मेरठ के ऑफिस कॉम्प्लैक्स, सेक्टर-9, शास्त्रीनगर, मेरठ स्थित कार्यालय में गठित समिति द्वारा निम्न विवरण के अनुसार ई-प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन के माध्यम से डाउनलोड/खोली जाएगी :-

क्र० सं०	कार्य का नाम	मद	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा पद्धति	खण्ड का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ परिसर में पूर्व में बने 16 कमरों के छात्रावास पर अतिरिक्त तीन तलों एवं मैस पर एक तल के निर्माण कार्य के अन्तर्गत छात्रावास में 08 नग व्यक्तियों की क्षमता की 01 नग लिफ्ट लगाने का कार्य। (08 Passenger Generation-2 Nova MRL 544 Kg. Speed 1.0 MPS, 400/415 Volt, 3 Phase with OTIS make with mono chrome LCD and pressed button with engraved Brali Letter)	संलग्न बी0ओ0क्यू0 के अनुसार	0.38	03 माह	एकल पद्धति	नि0खं0 मेरठ-2

शर्त :-

- निविदा प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर धनराशि NEFT/RTGS/Net Banking के माध्यम से निविदा में उल्लिखित बैंक खाते में ही जमा करायी जायेगी (विवरण निम्नानुसार है), ई-निविदा निर्धारित तिथि व समय तक डाली/अपलोड की जानी होगी।

खण्ड का नाम	बैंक का नाम	शाखा का नाम	खाता संख्या	आई0एफ0एस0सी0 कोड
अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड मेरठ-02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्रीनगर, मेरठ	यूनियन बैंक आफ इन्डिया	गढ़ रोड, शास्त्रीनगर, मेरठ	499102010037063	UBIN0549665

2. महत्वपूर्ण तिथियाँ

क्र० सं०	विवरण	दिनांक	समय
1	ई-निविदा प्रकाशन तिथि।	29.04.2025	—
2	ई-निविदा डाउनलोड/अपलोड/निविदा प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर धनराशि का भुगतान NEFT/RTGS/Net-Banking के माध्यम से करने की प्रारम्भ तिथि।	29.04.2025	अपरान्ह 5:00 बजे से
3	ई-निविदा डाउनलोड/अपलोड/निविदा प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर धनराशि का भुगतान NEFT/RTGS/Net-Banking के माध्यम से करने की अन्तिम तिथि।	14.05.2025	अपरान्ह 5:00 बजे तक
4	ई-निविदा खोले जाने की तिथि।	15.05.2025	अपरान्ह 01:00 बजे

- निविदा खोले जाने की तिथि को अवकाश घोषित होने की स्थिति में, निविदायें अगले कार्य दिवस में खोली जायेंगी।
- निविदा की वैधता, निविदा खुलने की तिथि से तीन माह की होगी, जिसके लिये निर्धारित प्रारूप पर रु० 100/- के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर रु० 1/- के रेवेन्यू स्टाम्प सहित हस्ताक्षरित हो, कीड स्कैन कापी निविदा के साथ ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- निविदादाता फर्म को आयकर विभाग/जी0एस0टी0 में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न की जानी आवश्यक होगी।
- सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

00000 की दरों में जी0एस0टी0 को छोड़कर अन्य समस्त कर सम्मिलित हैं, जी0एस0टी0 नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी। सभी देयकों से आयकर, लेबर सेस व अन्य कर, जो उ0 प्र0 सरकार/भारत सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती नियमानुसार की जायेगी। जी0एस0टी0 का तत्समय प्रभावी शासनादेशों/परिषद आदेश के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार एवं फर्म द्वारा जी0एस0टी0 Invoice प्रस्तुत करने के उपरान्त, नियमानुसार अलग से भुगतान किया जायेगा।

8. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को अपरिहार्य कारणवश, बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधेहस्ताक्षरकर्ता को सुरक्षित रहेगा।
9. समस्त कार्य, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/उ0 प्र0 जल निगम/MORTH/IRC/यू.पी.सी.एल.(विद्युत कार्यों हेतु) की निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार, कराये जायेंगे।
10. निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यों की मात्रा में किसी भी सीमा तक (+/-) परिवर्तन (बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी) हो सकता है, जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
11. निविदा प्रपत्र, परिषद की वेबसाइट www.upavp.in एवं उ0प्र0 इलैक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि नियमित रूप से उक्त वेबसाइटों को देखते रहें क्योंकि निविदाओं के सम्बंध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
12. कार्य हेतु निविदा डालने से पूर्व, ठेकेदार/फर्म कार्यस्थल का किसी भी कार्य दिवस में निरीक्षण एवं निविदा प्रपत्रों का पूर्व अध्ययन अवश्य कर लें। ठेकेदार/फर्म द्वारा निविदा में प्रतिभाग किये जाने की स्थिति में यह माना जायेगा कि ठेकेदार/फर्म द्वारा स्थल का निरीक्षण/परीक्षण कर लिया गया है तथा इस सम्बंध में भविष्य में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
13. निविदादाता के निविदा स्वीकृत/अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित निविदादाता सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा, जिसमें किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।
14. निविदा के कार्य में सम्मिलित विशेष प्रकृति के कार्य, तत्सम्बन्धी कार्यों हेतु दक्ष अधिकृत एजेन्सी के पर्यवेक्षण में कराने होंगे।
15. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए काली सूची में डाला जायेगा।
16. कार्य में प्रयुक्त सैम्पल्स की विभाग द्वारा किसी बाहरी एजेन्सी से चेकिंग/टेस्टिंग कराने पर होने वाले व्यय की कटौती ठेकेदार/फर्म के देयक से की जायेगी।
17. ई-टैन्डरिंग में प्रतिभाग हेतु वांछित अर्ह-श्रेणी एवं उससे उच्च श्रेणी के निविदादाता पात्र होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति निविदा प्रपत्रों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।
18. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिए। प्रगति का आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जाएगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमुलेटिव प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
19. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर, निविदा की दरें कम (Below) मानी जायेगी।
20. यदि ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है, तो निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर व स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ देय होगी।
21. निविदादाताओं/फर्म के निविदा स्वीकृति की दशा में, नियमानुसार जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप में, जो कि सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बंधक हो, निविदा स्वीकृति पत्र के निर्गमन की तिथि से 07 कार्य दिवसों के अन्दर जी0पी0डब्ल्यू0-9 फार्म में उल्लिखित क्लोज-(1) के अनुसार जमा करनी होगी। निविदा स्वीकृति के उपरान्त निर्धारित अवधि में ठेकेदार को अनुबन्ध गठित कराना होगा अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त करते हुये, जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
22. अनुबन्ध गठन के समय प्रभावी नवीनतम शासनादेशानुसार स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।
23. यदि निर्माण कार्य की जांच में गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है तो इसके लिये ठेकेदार/फर्म उत्तरदायी होगी, जिसकी वसूली नियमानुसार फर्म से की जायेगी।
24. ई-निविदा अपलोड करते समय चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र (टी-4, टी0-5, टी0-6) जो जिला मजिस्ट्रेट से निर्गत हो, जो निविदा खुलने की तिथि के पश्चात तक वैध हो, लगाना होगा।
25. ई-निविदा के साथ निविदादाता को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र अपलोड करने अनिवार्य होंगे। जिनके अपलोड न किये जाने की दशा में निविदा सील कर दी जायेगी :-
(अ) फर्म का पैन कार्ड।
(ब) फर्म का परिषद में वांछित श्रेणी में विद्युत/यांत्रिक पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
(स) फर्म का जी0एस0टी0 में पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
26. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान, वर्षा या अन्य दैवीय आपदा के कारण किसी प्रकार की हुई क्षति हेतु परिषद द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। कार्यस्थल पर फर्म को

27. सुरक्षा मानकों का पूर्णतया अनुपालन कराना होगा। कार्यस्थल पर किसी कारणवश, हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वयं ही जिम्मेदार होगी। इस सम्बन्ध में परिषद द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।
28. कार्य को निर्धारित समय के अन्तर्गत, कार्य की प्राथमिकता के अनुसार चरणवार इस प्रकार सम्पादित कराना होगा कि स्थल पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो एवं सभी कार्य सुगमतापूर्वक, समयबद्ध/गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो सकें।
29. अन्य नियम व शर्तें निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड के अनुसार होगी।
30. जी0पी0डब्ल्यू0-9 फार्म में प्राविधानित नियम व शर्तें अनुबन्ध में लागू रहेंगी।
31. एन0जी0टी0 सम्बंधी नियमों का अनुपालन किये जाने हेतु निविदादाता फर्म द्वारा अनुबन्ध गठन के समय शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।
32. उ0प्र0 शासन/जिला प्रशासन द्वारा कार्य से सम्बन्धित निर्गत निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
33. किसी प्रकार के सर्वर आदि के आकस्मिक रूप से विलम्बित होने अथवा सर्वर त्रुटि होने के कारण बिड डाउनलोड/अपलोड करना अथवा परिषद खाते में धनराशि विलम्ब से प्राप्त होने की स्थिति में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद उत्तरदायी नहीं होगा।
34. किसी भी विवाद की दशा में जनपद-मेरठ न्यायिक क्षेत्र होगा।
35. शेष प्रपत्र निविदा में संलग्न चेक लिस्ट के अनुसार अपलोड करने होंगे।
36. प्रश्नगत कार्य को विश्वविद्यालय प्रशासन को हस्तगत करने एवं सम्बन्धित विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी। तदोपरान्त ही अन्तिम बीजक का भुगतान किया जाना सम्भव होगा।
37. सामग्री, मूल सामग्री निर्माता की ही मान्य होगी। मूल सामग्री निर्माता द्वारा आई0एस0ई0 अधिकृत विक्रेता की सामग्री मान्य नहीं होगी।
38. प्रश्नगत कार्य में स्थापित कराये गये उपकरणों के वारण्टी कार्ड मूलरूप में खण्ड कार्यालय में जमा करने होंगे।
39. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व फर्म को OTIS Lift Manufacturer से इस आशय का प्रमाण-पत्र कार्यालय में जमा करना होगा कि "O.E.M. द्वारा लिफ्ट संस्थापन, ऊर्जीकृत इत्यादि सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं गारण्टी अवधि के दौरान फर्म को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा।
40. प्रयुक्त सामग्रियों की वारण्टी/गारण्टी की अवधि विश्वविद्यालय प्रशासन/आवास एवं विकास परिषद को हस्तगत करने के उपरान्त तीन वर्ष की होगी। तदोपरान्त जमानत धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(राजीव कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता

पृ0सं0 :- 1110 /उपरोक्तानुसार/

तद् दिनांक :-

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, ग्लोबल कंस्ट्रक्शन एण्ड कंसल्टेंसी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
3. इन्चार्ज, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड मेरठ-01/02/03/04, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ/सहारनपुर।
5. नोटिस बोर्ड।

अधीक्षण अभियन्ता